उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1981}

THE UTTAR PRADESH ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1981

[U. P. Act No. 16 of 1981]

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1981}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनाँक 17 सितम्बर, 1981 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनाँक 21 सितम्बर 1981 को बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनाँक 01 अक्टूबर 1981 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनाँक 05 अक्टूबर, 1981 को प्रकाशित हुआ।}

सिनेमा में प्रदर्शित विज्ञापनों पर कर आरोपण और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनाँक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों या राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनाँक नियत किए जा सकते हैं।

परिभाषाएं

2–– इस अधिनियम में :–

(क) ''विज्ञापन'' से स्लाइड या फिल्म के माध्यम से किसी माल, सम्पत्ति, आमोद, व्यापार, कारबार या वृत्ति की प्रज्ञापना या घोषणा अभिप्रेत है;

(ख) ''सिनेमा'' से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन चलचित्र यंत्र के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किसी स्थान से है;

(ग) ''आयुक्त'' से आमोद और पणकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की समस्त या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत अपर आमोद और पणकर आयुक्त, संयुक्त आमोद और पणकर आयुक्त, उप आमोद और पणकर आयुक्त और कोई अन्य अधिकारी भी है;

(घ) सिनेमा के सम्बन्ध में, ''मालिक'' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

(एक) यू0पी0 सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के अर्थान्तर्गत उसका लाइसेंस गृहीता;

(दो) कोई व्यक्ति, जो उसके प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी या तत्समय उसका प्रभारी हो;

(तीन) कोई व्यक्ति, जिसे उसमें किसी स्लाइड या फिल्म के प्रक्षेपण के कार्य का प्रभार हो;

(ङ) ''कर'' से विज्ञापन कर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन आरोपित कोई शास्ति या अन्य प्रभार भी है।

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनाँक 17 मार्च, 1981 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

विज्ञापन पर कर का आरोपण

3–– (1) किसी सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित समस्त विज्ञापनों पर विज्ञापन कर ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार समय–समय पर इस निमित्त अधिसूचित करे, प्रभारित, उद्गृहीत और अदा किया जाएगा :

{परन्तु कोई मालिक इस उपधारा के अधीन देय कर के बदले ऐसी शर्तों पर, ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, एकमुश्त कर का भुगतान कर सकता है और जहां कोई मालिक ऐसे एकमुश्त कर का भुगतान करने का विकल्प करता है, वहां उससे उस अवधि के लिए, जिसके लिए एकमुश्त कर का भुगतान किया गया हो, धारा 5 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, उक्त धारा के अधीन लेखा रखने और विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायगी।}[1]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर की दर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :–

(क) विज्ञापन लघु चित्र की स्थिति में, प्रति पैंतालीस मीटर या उसके भाग पर प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए पचास रूपये;

(ख) किसी फिल्म की झलकियों (ट्रेलर) की स्थिति में, प्रतिदिन दो रूपये;

(ग) किसी स्लाइड की स्थिति में, प्रति स्लाइड प्रतिदिन पचास पैंसा;

(घ) किसी अन्य विज्ञापन की स्थिति में, प्रति विज्ञापन पचास पैंसा।

(3) इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए या विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के लिए कर की विभिन्न दर अधिसूचित करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(4) इस धारा के अधीन देय कर की संगणना करने में कर के देय धन को, जहाँ कहीं आवश्यक हो, पाँच पैसे के अगले उच्चतर गणित में पूर्णांकित किया जाएगा।

कर के भुगतान का दायित्व

4–– कर, विहित रीति से, मालिक से लिया और उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा किन्तु किसी संविदा के अधीन रहते हुए, स्वयं द्वारा कर के सम्बन्ध में भुगतान की गई या देय राशि को मालिक ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगा, जिसकी ओर से विज्ञापन प्रदर्शित किया जायः

परन्तु किसी मालिक द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान करने के मामले में, मालिक द्वारा इस धारा के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसकी ओर से विज्ञापन प्रदर्शित किया जाय, वसूल की जा सकने वाली राशि ऐसे विज्ञापन पर धारा 3 के अधीन देय विज्ञापन कर की राशि के बराबर होगी।}[2]

लेखा–बही आदि रखने का कर्तव्य

5–– विज्ञापनों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में मालिक ऐसी लेखा–बही रखेगा और ऐसे अन्तराल पर ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित की जाय।

छूट

6–– (1) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई देय नहीं होगा :–

(क) किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के लिए या उसकी ओर से प्रदर्शित कोई विज्ञापन;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1989 के अध्याय–चार की धारा 15 द्वारा परन्तुक बढ़ाया गया।
2. उपर्युक्त की धारा 16 द्वारा परन्तुक बढ़ाया गया।

(ख) किसी सिनेमा में, जिसमें स्लाइड प्रदर्शित की जा रही हो, रूपक चित्रों (फीचर फिल्म) के प्रदर्शन से सम्बन्धित कोई स्लाइड;

जहाँ जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि कोई विज्ञापन बिना किसी लाभ के लोकोपयोगी, पूत या शैक्षिक प्रयोजन के लिए प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ वह ऐसे विज्ञापन को कर के भुगतान से छूट दे सकता है।

कर वापस करना

7–– जहाँ आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि मालिक ने वास्तविक रूप से देय राशि से अधिक कर जमा किया है, वहाँ वह ऐसी राशि को वापस कर देगा या भविष्य में भुगतान किए जाने वाले कर के प्रति उसे समायोजित करेगा।

विवेक बुद्धि के अनुसार कर निर्धारण

8–– (1) जहाँ आयुक्त का यह समाधान हो जाय कि मालिक ने –

(क) इस अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान का किसी भी तरह से कपटपूर्वक अपवंचन किया है या अपवंचन करने का प्रयास किया है; या

(ख) साही और सम्पूर्ण विवरणियाँ, उनके लिए विहित समय के भीतर तैयार करने या प्रस्तुत करने में चूक की है;

वहाँ वह मालिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार, मालिक द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण करेगा और शास्ति भी आरोपित कर सकता है, जो पाँच सौ रूपये या देय कर की राशि के दुगुने से, जो भी अधिक हो, अधिक न होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश में व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश तामील होने के दिनाँक से तीन दिन के भीतर, ऐसी रीति से जैसी, विहित की जाय, राज्य सरकार को अपील कर सकता है और ऐसी अपील पर अपील प्राधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

निरीक्षण

9–– (1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी सहायता के साथ, जैसी आवश्यक हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किसी भी युक्तियुक्त समय पर किसी सिनेमा या किसी स्थान में, जिसे उससे सम्बन्धित अभिलेख रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो या जिसके सम्बन्ध में इस प्रकार प्रयुक्त किए जाने का संदेह हो, प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है और विज्ञापन के प्रदर्शन से सम्बन्धित ऐसे अभिलेख को जिन्हें वह आवश्यक समझे, अपने कब्जे में ले सकता है या उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने तलाशी लेने या निरीक्षण करने की शक्ति का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा भी उस जिले के भीतर, जहाँ वह तत्समय तैनात हो, किया जा सकता है।

(3) मालिक उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी को सभी युक्तियुक्त सहायता देगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक निरीक्षक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक–सेवक समझा जाएगा।

शास्ति

10—— (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर का भुगतान करने में चूक करता है या उसका अपवंचन करता है, दोष—सिद्ध पर, एक हजार रूपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी निरीक्षक अधिकारी को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों के पालनार्थ प्रवेश करने से रोकता है या अन्य प्रकार से बाधा पहुँचाता है, दोष—सिद्धि पर एक हजार रूपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में चूक करता है, दोष—सिद्धि पर, पाँच सौ रूपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

कम्पनी द्वारा अपराध

11—— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य—संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और साबित हो जाए कि अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसा प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) ''कम्पनी'' से किसी निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, ''निदेशक'' से फर्म के भागीदार अभिप्रेत है।

अभियोजन के लिए स्वीकृति

12—— इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

अपराधों का शमन

13—— (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, आयुक्त द्वारा, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष—आदेश के अधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा।

(2) जहाँ अपराध का इस प्रकार शमन —

(क) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहाँ अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा और यदि अभिरक्षा में हो तो नियुक्त कर दिया जाएगा;

(ख) अभियोजन संस्थिति किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहाँ शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।

14—— कर के मद्धे देय कोई राशि, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार को उपलब्ध वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भू—राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी। कर की वसूली

15—— राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरूद्ध कोई कार्यवाही ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किए जाने के लिए तात्पर्यित हो। कतिपय कार्यवाहियों पर रोक

16—— (1) राज्य सरकार, धारा 2 के खण्ड (ग), धारा 3 और 20 में निर्दिष्ट शक्तियों के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या कोई शक्ति अपने अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकती है और इस प्रकार प्रत्यायोजित किसी शक्ति को इसी प्रकार वापस ले सकती है। प्रत्यायोजन

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे निर्बन्धनों, प्रतिबन्धों या शर्तों के अधीन किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार समय—समय पर निर्धारित करे।

17—— आयुक्त की इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सिनेमा के मालिकों के समय—समय पर ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध से असंगत न हो। आयुक्त को निदेश जारी करने की शक्ति

18—— प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक विनियोग कर लिए जाने के पश्चात् राज्य सरकार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कर के मद्धे प्राप्त राशि में से वसूली का व्यय काटने के पश्चात् शेष धनराशि राज्य की संहत निधि से निकालेगी और उसे ऐसी रीति से और ऐसे अनुपात में, विहित किया जाय, स्थानीय निकायों को अन्तरित करेगी। स्थानीय निकायों को कर की राशि का भुगतान

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ पद ''स्थानीय निकाय'' से किसी म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी या जिला परिषद् अभिप्रेत है।

19—— जहाँ इस अधिनियम के अधीन कर देय हो, वहाँ किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी सिनेमा के भीतर पर्दे पर प्रदर्शित विज्ञापनों पर कोई कर, उपकर, शुल्क या अन्य उद्ग्रहण देय नहीं होगा। अन्य अधिनियमितियों के अधीन कर से छूट

20—— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

THE UTTAR PRADESH ADVERTISEMENTS TAX ACT, 1981[1]

[U. P. Act No. 16 of 1981]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh September Legislative Assembly on September 17, 1981 and by, the Uttar Pradesh Legislative Council on 21, 1981.

Received the assent of the Governor on October 1, 1981 under Article 200 of "the Constitution of India" and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated October 5, 1981.]

AN
ACT

to provide for the levy of tax on advertisements exhibited in cinemas and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-Second year of the Republic of India as follows:

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Advertisements Tax Act 1981.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf, and different dates may be so appointed for different provisions of this Act, or for different areas of the State.

Definitions

2. In this Act-

(a) "advertisement" means the intimation or announcement of any goods, property, entertainment, trade, business or profession by, means of a slide or film;

(b) "cinema" means a place licensed to exhibit films by means of a cinematograph under the provisions of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 ;

(c) "Commissioner" means the Entertainment and Betting Tax Commissioner, Uttar Pradesh, and includes the Additional Entertainment and Betting Tax Commissioner, the Joint Entertainment and Betting Tax Commissioner, the Deputy Entertainment and Betting Tax Commissioner, and any ether officer authorized by the State Government by notification to exercise all or any of his powers under this Act;

(d) "Proprietor" in relation to a cinema includes-

(i) the licensee thereof, within the meaning of the U. P. Cinematograph Rules, 1951 ;

(ii) any person responsible for or for the time being in charge of the management thereof;

(iii) any person charged with the work of projecting any slide or film therein ;

(e) "tax" means advertisement tax and includes any penalty or other charge levied under this Act.

1.For statement of Objects and Reasons see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated 17, March 1981.

Levy of tax on advertisements

3. (1) On all advertisements exhibited on the screen in a cinema there shall be charged, levied and paid an advertisement tax at such rate as the State Government may from time to time notify in this behalf :

[Provided that a proprietor may, in lieu of the tax payable under this sub-section, pay a lump sum tax on such conditions, in such manner and at such rates, as the State Government may notify in this behalf and where a proprietor elects to pay such lump sum tax he shall not be required to keep accounts and furnish returns under section 5 for the period for which lump sum tax is paid, notwithstanding anything to the contrary contained in that section.][1]

(2) The rate of tax referred to in sub-section (1) shall not exceed---

(a) in the case of an advertisement short, for every forty-five meters or part thereof, twenty-five rupees per week or part thereof;

(b) in the case of a trailer of film, two rupees per day;

(c) in the case of a slide, fifty paise per slide per day;

(d) in the case of any other advertisement, fifty paise per advertisement per day.

(3) Nothing in this section shall preclude the State Government from notifying different rates of tax for different areas of the State or for different kinds of advertisements.

(4) In computing the tax payable under this section, the tax liability shall, whenever necessary, be rounded off to the next higher multiple of five paise.

Liability to pay tax

4. The tax shall be charged from and paid by the proprietor in the manner prescribed but, subject to any contract to the contrary, the amount paid or payable by the proprietor in respect of the tax shall be recoverable by him from any person on whose behalf the advertisement is exhibited :

[Provided that in case of payment of a lump sum tax by a proprietor, the amount recoverable under this section by the proprietor from any person on whose behalf the advertisement is exhibited shall be equivalent to the amount of advertisement tax payable under section 3 on such advertisement.][2]

Duty to keep books of accounts etc.

5. The proprietor shall keep such books of account and submit such returns at such intervals in respect of the exhibition of advertisements as may be prescribed.

Exemptions

6. (1) No tax shall be payable in respect of ------

(a) any advertisement exhibited for or on behalf of any Government or local authority;

1.Chapter-IV Added proviso by section 15 of U.P. Act No. 12 of 1989.
2.Added proviso by section 16 ibid.

(b) any slide relating to the exhibition of feature films in the cinema in which the slide is being exhibited.

(2) Where the District Magistrate, or any other officer authorized by the State Government in this behalf, is satisfied that any advertisement is exhibited for philanthropic, charitable or educational purposed without any profit, he may exempt such advertisement from payment of tax.

Refund of tax

7. Where the commissioner is satisfied that the proprietor has deposited tax in excess of the amount actually due, he shall grant a refund in respect of such amount or allow its adjustment against future payments of tax.

Best judgment Assessment

8. (1) Where the commissioner is satisfied that the proprietor-----

(a) has fraudulently evaded or attempted to evade, in any form whatsoever, the payment of tax due under this Act; or

(b) has failed to prepare or to submit true and full returns within the time prescribed therefor;

he shall, after giving the proprietor a reasonable opportunity of being heared, assess to the best of his judgment, the amount of tax due from the proprietor and may also impose a penalty not exceeding five hundred rupees or double the amount of tax due, whichever is greater.

(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within thirty days from the date of service of such order, prefer an appeal to the State Government in such manner as may be prescribed, and the order of the appellate authority on such appeal shall be final.

Inspections

9. (1) The Commissioner or any other officer authorized by him in this behalf may, with such assistance as may be necessary, enter inspect and search any cinema or any place used or suspected to be used, for keeping records connected therewith, at any reasonable time with a view, to securing compliance of the provisions of this Act, and may take in his possession or require the production of such records relating to the exhibition or advertisements, as he considers necessary.

(2) The powers of entry, search and inspection under sub-section (1) may also be exercised by the District Magistrate or an officer authorized by him within the district to which he is for the time being posted.

(3) The proprietor shall give every reasonable assistance to the inspecting officer specified in sub-section (1), or sub-section (2).

(4) Every inspecting officer specified in sub-section (l) or sub-section (2) shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Penalties

10. (1) Any person who fails to pay or evades the payment of any, tax due under this Act shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding one thousand rupees.

(2) Any person who prevents the entry of, or otherwise obstructs, any inspecting officer in the discharge of his duties under this Act or the rules made thereunder shall, on conviction, be punishable with a fine not exceeding one thousand rupees.

(3) Any person who contravenes any ether provision of this Act or the rules made thereunder, or fails to comply with any order or direction issued under this Act or the rules made thereunder shall, on conviction, be punishable with a fine not exceeding five hundred rupees.

Offences by companies

11. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be Guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing container in this sub-section shall render any such person liable to any punishment If he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this section has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any managing agent, secretary, treasurer, director, manager or other officer of the company, such managing agent, secretary, treasurer, director, manager or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation- For the purposes of this section---

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "Director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Sanction of prosecution

12. No prosecution for any, offence punishable under this Act shall be instituted except With the previous sanction of the District Magistrate.

Compounding of offences

13. (1) Any offence punishable under this Act may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, be compounded either before or after the institution of the prosecution, by the Commissioner on realization of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence.

(2) Where the offence is so compounded--

(a) before the institution of the prosecution, the offender shall, not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(b) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.

Recovery of tax

14. Any sum the on account of tax shall, without prejudice to any other mode of recovery available to the State Government under any other law for the time being in force, be recoverable as arrears, of land revenue.

Bar of certain proceedings

15. No action shall lie against the State Government or any of its officers or servants for any act done or purporting to be done in good faith under this Act or the rules made thereunder.

Delegation

16. (1) The State Government may, by notification, delegate all or any of its power under this Act except the powers referred to in clause (c) of section 2, section 3, and section 20, to any section or authority subordinate to it and may in the like manner withdraw any power so delegated.

(2) The exercise or any powers delegated under sub-section (1) shall, be subject to such restrictions, limitations or conditions as may be laid down by the State Government from time to time.

Power of commissioner to issue directions

17. The Commissioner shall have the power to issue directions from time to time not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder to the proprietors of cinemas for carrying out the purposes of this Act.

Payments of the amount of tax to local bodies

18. At the beginning of each financial year, after due appropriation has been made by law, the State Government shall withdraw from and out of the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the sum received by it on account of the tax in the preceding financial year after deduction charges, and transfer it to the local bodies in such manner and in such proportion as may be prescribed.

Explanation--- For the purposes of this section, the expression local body means a Municipal Board, Nagar Mahapalika, notified area committee or town area committee or Zila Parishad.

Exemption from tax under other enactments

19. No tax, cess, duty or other levy on advertisements exhibited on screen inside a cinema under any other Uttar Pradesh Act shall be payable where a tax is payable under this Act.

Power to make rules

20. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.